



क्रमांक: 10113 / विविध / 171 / 2019 / 20449  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 21/08/2024

कुलसचिव  
आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय  
ग्राम-नवापारा(कोसमी), तहसील-छुरा  
जिला-गरियाबंद, (छ.ग.), पिन कोड-493996

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय ( आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, जिला-गरियाबंद ) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद, में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरण:-

सं.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित शुल्क (रु.में)
1	Master of Arts	14,000
2	Bachelor of Arts	10,000
3	Bachelor of Arts (Hons)	14,000
4	Master of Social work (M.S.W)	15,000
5	Bachelor of Social work (B.S.W.)	9,000
6	Master of Library & Information Science (M.Lib.I.Sc.)	16,000
7	Bachelor of Library & Information Science (B.Lib.I.Sc.)	13000
8	Master of Commerce (M.Com)	18000

क्रमशः:02

6



(02)

9	Bachelor of Commerce (B.Com)	13000
10	Master of Business Administration (MBA)	66000
11	Bachelor of Business Administration (BBA)	32000
12	Master of Science	22000
13	Bachelor of Science	18000
14	Bachelor of Science (Hons)	25000
15	Bachelor of Science (Fashion Designing & Technology)	25000
16	Bachelor of Science (Interior Design)	25000
17	Master of Computer Application (MCA)	27000
18	Bachelor of Computer Application (BCA)	20000
19	Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)	14000
20	Advance Diploma in Computer Application (ADCA)	26000
21	Diploma in Computer Application (DCA)	10000
22	Bachelor of Law (LLB)	40000
23	Doctor in Philosophy (Ph.D)	350000
24	Integrated Program in Bachelor of Business Administration + Bachelor of Law (BBA + LL.B)	40000
25	Diploma in Business Administration (DBA)	15000
26	Post Graduate Diploma in Business Administration (PGDBA)	25000
27	Executive Master in Business Administration (EMBA)	60000
28	Diploma in Journalism And Mass Communication (DJMC)	15000
29	Diploma in Interior Design	25000
30	Diploma in Fashion Design	25000

क्रमशः:03

2




(03)

31	Master of Law ( LL.M.)	40000
32	B.Tech Computer Science & Engineering	33000
33	B.Tech Civil Engineering	33000
34	B.Tech. Electrical & Electronics	33000
35	B.Tech. Mechanical	33000
36	B.Tech. Mining	33000
37	DE Civil	27000
38	DE Mechanical	27000
39	DE Mining	27000
40	DE Computer Science	27000
41	DE Electrical and Electronics	27000
42	PG DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT	20000
43	PG Diploma in Yoga & Naturopathy	13000
44	DIPLOMA IN YOGA & NATUROPATHY	12000
45	Diploma in Pharmacy (D.Pharm)	80000
46	Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)	75000
47	Master of Pharmacy (M.Pharm)	80000
48	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (B.H.M.C.T.)	25000
49	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	60000
50	M.Tech	60000
51	Diploma in Hotel Management and Catering Technology (DHMCT)	20000

क्रमशः:04



1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2024-25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुईं तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।
6. आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित शुल्क से यदि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक शुल्क विद्यार्थियों से लिया गया है, तो इस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वापस करना होगा अथवा इसका समायोजन आगामी सत्र में करना होगा तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर देनी होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुल्क निर्धारण आयोग कार्यालय से नहीं कराया गया है तो वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की जानकारी आयोग कार्यालय को तुरंत प्रेषित किया जायें। यह शुल्क किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ष में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षों में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रैल-मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रैल-मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
9. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नहीं होगी।

  
(के.के. चंद्राकर)

सचिव

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक  
आयोग(छ.ग.)